

12-02-2018

यह जमानत आवेदन बी.ए. 11/2018 पर दर्ज होकर प्राप्त।

आवेदक द्वारा श्रीमती प्रीति राय सोनेकर अधिवक्ता उपस्थित।
राज्य द्वारा श्री अभिजीत बापट ए.पी.पी. उपस्थित।

जमानत आवेदन क्रमांक बी.ए. 11/2018 अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. पंजीयन उपरांत प्राप्त। मूल अभिलेख संलग्न है।

जमानत आवेदन पत्र पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदक की ओर से श्रीमती प्रीति राय सोनेकर अधिवक्ता ने तर्क कर निवेदन किया कि आवेदक निर्दोष है, अपराध से कोई संबंध नहीं है, मिथ्या फंसाया गया है, दिनांक 02.12.2017 से अभिरक्षा में है, जमानत पर रिहा होना चाहते हैं, शर्तों का पालन करेगा, धार जिला म0प्र0 का स्थायी निवासी है, अन्यत्र फरार होने की संभावना नहीं है।

सह-अभियुक्त अनवर को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है, इस आवेदक का मामला अनवर से भिन्न नहीं है, समानता के आधार पर जमानत का लाभ प्राप्त करने का पात्र है, विचारण में सहयोग करेगा, प्रथम जमानत आवेदन पत्र है, इसके अलावा अन्य किसी सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय म. प्र. में जमानत आवेदन विचाराधीन नहीं है, जमानत आवेदन स्वीकार कर आवेदक को जमानत पर आज़ाद किए जाने की याचना की।

राज्य/अनावेदक की ओर से श्री अभिजीत बापट ए.पी.पी. ने तर्क कर निवेदन किया कि आवेदक के विरुद्ध पुलिस थाना रूपझर द्वारा अपराध क्रमांक 172/17 धारा 363, 366, 376 (2) (एन), 506 भा.द.वि. एवं धारा 5/6 पोस्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। जमानत आवेदन पत्र पर विरोध करते हुए आवेदन निरस्त किए जाने की याचना की है।

उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया।

विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 02/2018 के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

घटना दिनांक 12.11.2017 की थाना रूपझर में दिनांक 15.11.2017 को प्रथम सूचना अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 363 भा.द.वि. के अधीन दर्ज हुई है। गुमशुदगी क्रमांक 19/17 पर पंजीकरण हुआ है। दस्तयाबी दिनांक 02.12.2017 को 14:30 बजे जयदीप कंपनी बापूसिंह की कैंटिन पीथमपुर जिला धार से हुई है। अभियुक्त बापूसिंह उर्फ बन्टी का मेमोरण्डम कथन दिनांक 04.12.2017 का संलग्न है। इस आवेदक का नाम धारा 164 द.प्र.सं. के कथन में है तथा धारा 161 द.प्र.सं. के कथन में भी है। अभियुक्त अनवर के मामले से इस आवेदक का मामला समान नहीं है, इसलिए समानता के आधार पर यह आवेदक जमानत का लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं है।

अतः जमानत आवेदन पत्र क्रमांक 11/2018 स्वीकार किए जाने योग्य न होने से अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

यह आवेदन पंजी से निरस्त कर, परिणाम दर्ज कर, यह कार्यवाही मूल प्रकरण के साथ संलग्न की जावे।

सही / -

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर